रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 1994/कार्तिक 5, 1916

No. 537] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1994/KARTIKA 5, 1916

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1994

का.आ. 767(अ) :—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 12 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या आई.एल.ई. 32(2)/79, दिनांक 28 मार्च, 1985 के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि नैशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक श्री बलदेव सिंह, को भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग में विशेष कार्य

अधिकारी भी हैं, सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ख", समामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" व सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "घ" में सम्मिलित केन्द्रीय सिविल पदों पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो उक्त कम्पनी में विदेश सेवा पर हैं, उक्त नियमावली के नियम II के खण्ड (i) और (iv) में निर्दिष्ट दण्ड लागू करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

[फाइल संख्या 11-25/93-पी.ई-I]

ए.के. महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, 24th October, 1994

S.O. 767(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. ILE-32(2)| 79 dated March 28, 1985, the President hereby orders that Shri Baldev Singh, Chairman-cum-Managing Director, National Instruments Ltd., Calcutta, who is also an Officer on Special Duty in the Government of India, in the Ministry of Industry, Department of Heavy Industry, shall act as the disciplinary authority for imposing the penalties specified in clause (i) and (iv) of rule 11 of the said Rules, in respect of the persons appointed to Central Civil Posts included in the General Central Services Group 'B', General Central Service Group 'C' and General Central Service Group 'D' who are on foreign service to that company.

[File No. 11-25|93-PE-I]

A. K. MOHAPATRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1994

का.आ. 768(अ) :—राष्ट्रपति, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक श्री बलदेव सिंह को 10 जून, 1994 से आगामी आदेशों तक उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग में कलकत्ता में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

[फा. सं. 11-25/93-पीई-I]

ए.के. महापात्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1994

S.O. 768(E).—The President is pleased to appoint Shri Baldev Singh, Chairman-cum-Managing Director, National Instruments Limited, Calcutta as Officer on Special Duty, Ministry of Industry, Department of Heavy Industry at Calcutta, with effect from the 10th June, 1994 until further orders.

[File No. 11-25|93-PE-I]

A. K. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994